बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार , पटना

अधिघोषणा

31-12-13
तारीख..../..../~~2013~~

रा० सं0 14/डी.एल.ए (एन.पी.जी.सी)-औरंगाबाद-190/2013- 3125/आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव– परसा थाना संख्या– 22, परगना– **कुटुम्बा** थाना– **नबीनगर** जिला– औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– परसा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो **4.942** एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

अधिकृत खेसरा सं0 –

पूर्ण – 88 एवं 123

अंश – 86, 89, 90, 91, 92, 122-124, 126 एवं 127

उत्तर :– मौजे सिमरा दुसाध थाना नं0– 23

पूरब :– प्लॉट 128, 129, 130 (रेलवे लाईन)

दक्षिण :– बेलौरी थाना नं0– 33

पश्चिम :– प्लॉट 89, 90, 122 एवं 125

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यक्ता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना , हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1894 की धारा 3 के खंड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता
औरंगाबाद

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
30/12/13
लक्ष्मी कुमार सचिव

"सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है, धर्म, ईमान सदा इससे भी बढ़कर रखें"

– 3128

ज्ञाप संख्या–14/डी0एल0ए0–(एन0पी0जी0सी0)– औरंगाबाद –190/2013–/ /रा0, , पटना, दिनांक 31-12-13

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरांत इसकी 10 प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/13

सरकार के अवर सचिव।